२७

COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE R
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि.०।५२००-II-१५

प्रकरण क्र. /2015 निगरानी

जिला छतरपुर

1. नाथूराम

2. भगवान दास

पुत्रगण भैय्या लाल विश्वकर्मा

निवासी – ग्राम भगवा तहसील धुवारा

जिला छतरपुर

.........आवेदकगण

श्री O.P. Sharma (Ad) को
द्वारा आज दि. 15/12/15
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

O.P. Sharma Adv.
15-12-15

वरूद्ध

1. अलमा तनय धुरका अहिरवार

2. भूरा तनय कमला अहिरवार

निवासी –ग्राम भगवा तहसील धुवारा

जिला छतरपुर

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार घुवारा जिला छतरपुर निर्णय दिनांक 30/09/2015 पारित प्रकरण क्र. 1137/वी/121 2014-15 अंतर्गत धारा 50 एवं धारा 8 म.प्र. भू. रा. सहिता 1959-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4000–दो/15 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, धुवारा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1137/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.9.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि कमांक 469/2/11 के अंश भाग रकबा 32 23 वर्गफुट पर अनावेदक के विरूद्ध दिनांक 13–6–07 को पारित आदेश के आधार पर बेदखली किए जाने का आवेदन पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । कार्यवाही के दौरान अनावेदकों द्वारा धारा 11 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया गया एवं आलोच्य आदेश द्वारा उक्त आवेदन अंशतः स्वीकार करते हुए आवेदकों का आवेदन खारिज किया गया । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा इस आधार पर कि आवेदकों द्वारा अनावेदक द्वारा धारा 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन का जबाव 27.2.15 से 14.9.15 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदकों का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन निरस्त किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि यदि आवेदकों द्वारा अनावेदकों के आवेदन का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया था तब भी अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करते एवं बोलता हुआ आदेश पारित करते । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि यह प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । अतः नायब तहसीलदार का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकों को एक अवसर अनावेदकों द्वारा धारा 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन के जबाव हेतु प्रदान करें । तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत कार्यवाही करते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करें । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस किए जायें प्रशा0 सदस्य	